उत्पीड़ित शोषित वर्गो के उत्थान से संबंधित गॉधी अम्बेडकर और काशी राम के विचारो का तुलनात्मक अध्ययन

दिलेन्द्र मांझी*

भारत के दलित आंदोलन के संदर्भ में डॉ अम्बेडकर की भूमिका के कई रूप दृष्टिगेचर होना है। डॉ अम्बेडकर को सन् 1916 में दे कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के शोध छात्र थे तभी उन्हें हम भारते में जातिप्रथा के एक गंभीर अध्येता के रूप मे पाते है। 9 मई 1916 को गोल्डन वाइजर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में नृविज्ञान पर गोष्ठी आयोजित की और अम्बेडकर को भारत में जातिप्रथा के अधार पर जाति तंत्र की प्रकृति पर प्रकाश डाला और नृजाति विज्ञान के विद्वानों के विचारों का उदाहरण देते हुए जातिं को परिभाषित किया, जाति प्रथा के प्रचलन की मान्यताओं की व्यास्था की उनका यह प्रबंध एक वर्ष उपरांत रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंबई की शोध पत्रिका इंडियन एंटीकवेरी के मई 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ ''नवम्बर 1917 में बंबई में दलित जातियों के दो अधिवेशन हुए, एक सम्मेलन में एक प्रस्ताव के जरिए यह मॉग की गई कि सरकार अछुतों के हिनों की रक्षा करे और इसके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विधानसभाओं में दलित जातियों को अपने प्रतिनिधि निर्वाक्षित करने का अधिकार प्रदान करें।

दुसरे दलित सम्मेलन मे स्वर्ण हिन्दुओं के हाथो में सता हस्तांतरण का विरोध करते हुए यह भी मांग की गई कि उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। गॉधी जी दलितों के विशेष प्रतिनिधित्व के खिलाफ थे वह वयस्क भताछिकार के लिए कृत संकल्प थे और अस्पृश्यता को मिटाने के हक में भी लंदन में गॉधी जी ने यही कहा। लेकिन डॉ0 अम्बेडकर अपनी बात पर अड़े रहे गॉधीजी ने तो अल्पसंख्यक समिति को भंग करने की भी बात की स्वाछीन भारत के भावी संविधान मे दलित वर्गो की सुरक्षा के लिए डॉ0 अम्बेडकर और शव बहादुर आर श्री निवासन ने कुद समाजिक राजनीतिक उपाय रखे।

आखिर 17 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडॉनल्ड ने कम्यनल आर्वड प्रकाशित कर दिया इसके अंतर्गत निर्वान क्षेत्र का अधर जातिभेद

***शोधछात्र इतिहास, जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा**

के मुताबिक का प्रत्येक मुख्य धर्म या कौभ की अलग मतदाता सुची तैयार होती देश टुकड़ो–टुकड़ो में बट जाता, देश के नेताओं ने कहा देश जाति और संप्रदाय में बंट जाएगा।

अस्पृश्यता और जाति भेद का कलंक मिटाने के बजाये और मजबुत हो जाएगा। गॉधी जी ने इसका घोर विरोध किया और कहा इस नविन व्यवस्था को बदले तो अच्छा होगा हिन्दू धर्म निर्मूल हो जाए। सदियों से अस्पृश्यता की घुणित प्रथा चल रही है। जो देश एवं समाज के लिए कलंक थी, अब बिसवी सदी में उन्नत राजनीति में इस कुरीति को स्थायी स्वरूप देना भीषण मूल होगी।

18 अगस्त 1932 को गॉधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि वे कम्युनल अवार्ड के विरोध में आभरण अनसन करने के लिए दृद प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा वे दोपहर 20 सितम्बर 1932 से अपना अनशन शुरू करेंगे।

20 सितम्बर को गॉधी ने अमरन अनसन (उपवास) प्रारभ किया कम्युनल अवार्ड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्र बाबू चिंतित हो गये। उन्होंने दलित के नेताओं से बात की सर तेजबहादुर सत्रू और आथराय जयकर ने एक तरफ वायातराय से बात की दूसरी ओर डॉ0 अम्बेडकर से इस गंभीर मसले पर चर्चा की कि गॉधी जी के प्राण कैसे बचाए जाए और कम्युनल अवार्ड का कोई सवेसम्मत हल निकाला जाए ब्रिटिश सरकार ने सभी निर्णय डॉ0 अम्बेडकर पड़ छोड़ दिया जो दलितो (अछुतो) की के एक मात्र युक्तिदाता में उस समय तक भारत में एसा कोई दलित (अछुत) नेता का जन्म नही हुआ था जो डॉ0 अम्बेडकर की बराबरी कर सके। तब तेजबहादुर सप्रू और जयंकर ने इस गंभीर राष्ट्रीय समस्या के हल के लिए एक प्रमुला निकाला की कम्युनल अवार्ड के बदले हरिजनो (दलितो) के लिए कुछ सीटें सुरक्षित कर दी जाए जहा से अछुत जाति के प्रतिनिधि के अलवा हिन्दू–मुसलमान या अन्य धर्मावलवी चुनाव न लड़ सके। उन परिस्थितियों में यह व्यवस्था अम्बेडकर को पसंद भाई साथ ही गाँधी को भी इसे मनने के लिए विशेष आपति नही थी इसमें आरक्षित चुनाव क्षेत्र में हरिजनों समेत सारे मतदताओं को अनुसूचित जाती का प्रतिनिधि ही चनना था जो समाज सुधार/अस्पृथ्यता निवारण जाति भेद मिटाने और समरस समाज निर्माण के लिए एक प्रभावी कदम था तब सप्रू जयंकर डॉ0 अम्बेडकर स्वयं बरवदा (पूना) जिले में गए जहॉ गॉधी अभरण अनशन कर रहे थे।

उस समय बड़ी गंभीरता शालीनता और प्रेम से वार्तालाप हुआ। अंत में गॉधी अम्बेडकर के मध्य जो फैसला हुआ उसके अनुसार 26 सितम्बर 1932 को छह दिन उपवास के बाद ब्रिटिश (अंग्रेज) सरकार ने कम्युनल अवार्ड वापिस ले लिया।

9 अक्टूबर 1939 को अम्बेडकर अछुतों का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वायसराय से मिले। उन्होंने कहा कि पूना पैकट के उदेश्य ही ध्वस्त हो गए है। सही दलित प्रतिनिधि चुने ही नहीं गए। वायसराय ने एक बयान में घोषणा की कि महायुध्दर की समाप्ति पर भारत अधिनियम में परिवर्तन किया जाएगा और इसके लिए सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यको के हितों की रक्षा की जाएगी। महायुध्द के दौरान एक सर्वदलीय सलाहकार परिषद भी गठित की जाएगी।

22 दिसम्बर 1939 को अम्बेडकर की पहल पर मुक्ति दिवस मनाया गया उनकी इंडिपेंडेंअ भेबर पार्टी ने इसमें हिस्सा लिया। यह अछुतों की स्वतंत्रता समता और वंधुत्व भावना के लिए यह संकल्प दिवस था। अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शाही आयोग विठाने की भी मांग को जो कांग्रेस शासन के दौरान अछुतों पर अव्याचारों और दमनात्मक कार्यवाहीयों की जाँच करें।

डॉ0 अम्बेडकर ने अछुतों को संबोधित करते हुए कहा था कि यह महायुध्द साधारण नही है। विश्वविद्यालय है। यह तनाशाही और लोकशाही के बीप युद्ध है। नाजीवाद का अधार नसभवाद है। उसके विजयी होने का अर्थ हो लोकशाही का अंत उसका प्रतिरोध करना लोकशाही को अंत उसका प्रतिरोध करना लोकशाही में विश्वास करने वाले सभी लोगों और देशो का कर्तव्य है। यदि लोक शाही समाप्त हो गई तो दलितों का भी कोई भविष्य नही होगा।

गॉधीजी दलितो को हिन्दू समाज में रखकर ही उनके राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर थे और अवश्यकतानुसार हिन्दू धर्म व्यागन के पक्षघर थे।

वही मान्यवर काशिराय बहुजन अस्मिता के संघर्ष में आत्मनिर्भर दलित राजनीति के नामक थे। बीसवीं सदी के दुसरे दशक तक राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गॉधी के हाथों में आ गया। स्वतंत्रता प्रप्ती को उनहोंने राष्ट्रीय आन्दोलन का सर्वप्रथम उदेश्य निस्पित किया तथापि धार्मिक एक समाजिक सुधार कार्यो को महात्मा गॉधी कभी निविड़ में नहीं जाने दिया।

महात्मा गॉधी का ईश्वर और धर्म में दृढ विश्वास था कि किन्तु वे धार्मिक कृरीतियों व अन्य विश्वासों के विरूद्ध थे उन्होंने एक धार्मिक निकाय की स्थपना पर जोर दिया जो धर्मशास्तों से अतार्किक आस्थानों जो नारी व शुद्रा के बारे में न्रामक विचारो का प्रतिपादन करते है। गॉधी जी का लक्ष्य सवदिय समाज की स्थपना सर्वोदय समाज से गॉधीजी का तात्पर्य एक एसे समाज से था जिसमें सभी उन्नत हो सभ्झी सुखी हो सभी के साथ न्याय हो समाजिक प्रगति में सब समान रूप से भागीदार बने और सभी के समाजिक प्रगति में समान रूप से हिस्सा मिले।

सर्वेत सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः।
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्वित दुखमाम्वुयात।।

महत्मागॉधी यह जानते थे कि सर्वोदय समाज की उनकी परिकल्पना तब तक सार्थक नही हो। सकती जब तक की समाज के निर्धन एवं कमजोर वग्र विषेशरूप से महिलाए और अछुत समुन्नत नही होते इसलिये उन्होंने स्वतंत्रता के लिएए संघर्ष के साथ महिलोव्यान नया हरिजनोद्धार के कार्यक्रमों का संचालन किया।

महत्मागॉधी का कहना था की अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अभिशाप है। उनकी मान्यता था कि यदि अस्पृश्यता रहती है तो हिन्दू धर्म मिट जाएगा और यदि हिन्दू धर्म को जीवित रखना हे तो अस्पृश्यता को मिटाना ही होगा। गॉधी जी स्पष्ट शब्दों में कहा अस्पृश्यता रहे इससे अच्छा है कि हिन्दू धर्म मिट जाये गॉधी जी कहते कि कुछ लोगों का सोचना था हरिजन समस्या का निदान धर्यान्तरण नही है। किन्तु यदि हरिजन एसा समझते है कि इससे उनकी समस्या का निदान होता है तो उन्हें इस बात की पूरी अजादी होनी चाहिए के कहते थे कि छुआछुत और हरिजन समस्या हिन्दू समाज की समस्या है और उसके निवारण की पहले भी हिन्दू समाज को ही करनी चाहिए महात्मागॉधी के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। इस बात का निर्णय अस्पृश्य ही करेंगे और जब तक एक भी अछुत इस देश में यह कहता है। कि छुआछुत समाप्त नही हुई है। तब तक यह कहना की छुआछुत का अंत हो गया है। गलत है। उनकी दृष्टि में परवाह इस बात की होनी चाहिए कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे दुर करने के किये ईमानदारी पूर्वक कर्म करें। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा की यदि एक भी अछुत हिन्दु के रूप में बचता हो तो भी वह हरिजनोद्धार के अपने कार्य में लेंगे रहेगे और इसबात का पूरा प्रधान करेगें कि वह अस्पृस्यता के अभिशाप से मुक्ति हो और दुसरे के समान समाज में सम्मान पूर्वक जीवन बिताये गॉधी जी अस्पृश्यता का अधिक विरोध करते हुए उसके धार्मिक ग्रंथो में वर्णित होने पर भी सन्देह करते है। गॉधी कहते है। यदि किसी दिन मुझे यह पता चले कि वेद उपनिषद भागवदगीता स्पृतियों और अन्य शास्त्रों में अस्पृश्यता होगी जो मुझे हिन्दू धर्म से बन्धकर रख सके। तब मैं हिन्दू धर्म को उसी तरह फेक दूगा जिस तरह योग सड़े हुए सेव को फेक देते है।

स्वधीन भारत के भावी संविधान में दलित वर्गो की सुरक्षा के लिए डॉ0 अम्बेडकर और राव बहादुर आर श्रीनिवासन ने कुछ समाजिक राजनीतिक उपाय रखे। वे इस प्रकार है।

समान नागरिकताः दलित वर्ग के लोग अपनी सहमति नही देंगे। बहुसंख्यक शासन लागु होने से पहले दलितो को अस्पृश्यताााा की कुरीति से पुरी तरह मुक्ति

मिलनी चाहिए इस मामले के बहुसंख्यको की इच्छा पर नही छोड़ना चाहिए, दलितो को अन्य नागरिको की तरह सभी अधिकार मिलनी चाहिए। (क) अस्पृश्यता को समाप्त करने और समान नागरिकता का अधिकार मे दर्ज किया जाय।

मौलिक अधिकारः भारत के सभी नागरिक कानून की निगाहाा में एक समान है। और सबके अधिकार बराबर है। वर्तमान समय में छुआछुत के बारे में लोग कोई भी अधिनियम कानुन आदेश व्यास्या या रिवाज जो किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। असुविधा पहुंचता है। अयोग्य करार देना है या पक्षपात करता है। तो उसे नए सविधान के लागू होते ही समाप्त माना जाएगा।

जाति भारतीय समाज व्यवस्था का एक पारपारिक अंग है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने माना है कि जाति आधारित उत्पीड़त की शुरूआत वर्ण व्यवस्था (ब्रहमण, क्षत्रिय वैश्य तथा शुद्र) के निर्माण से आरंभ होती है। और दिनो–दिन ये वर्ण संकर और अधिक भागों में विभाजित होने लगते है। समाज के चौथे वर्ण से एक और वर्ण उत्पन्न होता है। जिसे अतिशद्र अस्पृश्य, अत्यंज अछुत इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है और इसी के आधार पर इस वर्ण पर होने वाले उत्पीड़न की सीमा और अधिक बढ जाती है।

कभी पूना में किर्की स्थित एक्सक्लोसिव रिसर्च डिभेपमेंट लेबोरेटरी में अनुसंधान सहायक की नौकरी करने वाले काशीराय के बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक और सर्वेरूका माना जाता है। उन्होंने अपनी विचार धारा पूना में हुए 1934 के गॉधी अम्बेडकर समझौते की कटु अलोचना से शुरू की की काशीराय ने किसी बाग्जाल का सहारा लिये बिना दवा किया था कि पूना समझौते ने दलित नेताओं ने नाम सिर्फ चमचों को जन्म दिया, काशीराय ने अपनी एकमात्र पुस्तक चमचा युग शिर्षक में इसी विषय पर लिखी काशीराय का सारा दृष्टिकरण और वैचारिक पृष्ठभूमि ब्रहमणवाद और मनुवाद के विरोध पर आधारित था काशीराय की दृष्टि में दलितो में गरीबी अशिक्षा एक दीनसिति है। और यह उनकी मनोवैज्ञानिक परतंव्रता का अधार भी है और इस मनोवैज्ञानिक परंतपत्रता का पोषण ब्रहमणवाद एवं मनुवाद करता है।

कभी पूना में किर्की स्थित एक्सक्लोसिव रिसर्च डिभेपमेंट लेबोरेटरी में अनुसंधान सहायक की नौकरी करने वाले काशीराय के बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक और सर्वेसवो माना जाता है। उन्होंने अपनी विचार धारा पूना में हुए 1934 के गॉधी अम्बेडकर समझौते की कटु अलोचना से शुरू की की काशीराय ने किसी बाग्जाल का सहारा लिये बिना दवा किया था कि पूना समझौते ने दलित नेताओं के नाम सिर्फ चमचों का जन्म दिया, काशीराय ने अपनी एकामत्र पुस्तक चमचा युग शिर्षक में इसी विषय पर लिखी काशीराय का सारा दृष्टिकरण और

वैचारिक पृष्ठभूमि ब्रहमणवाद और मनुवाद के विरोध पर आधारित था काशीराय की दृष्टि में दलितो में गरीबी, अशिक्षा एक दीनसिति है। और यही उनकी मनोवैज्ञानिक परतंव्रता का अधार भी है। और इस मनोवैज्ञानिक परंतपत्रता का पोषण ब्रहमणवाद एवं अनुवाद करता है।

इन समस्याओं के समधान का एक मात्र रास्ता बहुजन समाज का सताशील होना है। राजनीतिक पर नियंत्रण से दलितों की समस्त समस्याओं का समधान हो जायेगा और दलित स्वयं अपने लिए अवसर और समस्याओं का समाधान ढूंढ लेगा।

संदर्भ सूची

1. चंचरीक, कन्हैयालाल – आधुनिक भारत दलित आंदोलन यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दरियागंज नई दिल्ली 2003, पृ0 124
2. लिंच ओविन एम. दि पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पृ0 79
3. चंचरिक कन्हैया लाल वही पृ0 129
4. दूबे अभय कुमार – आधुनिकता के आईने में दलित, वाणी प्रकाशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली 2005 पृ0 269
5. कुमार, प्रवेश – वही पृ0 109
6. मेधववाल डॉ0 कुसुम – भारतीय राजनीति के आन्दोलनकर्ता काशीराय राजस्थान दलित साहित्य आकादमे उदयपुर, राजस्थान, 2002 पृ0 35
7. राजन आंबेम – भाई बहुजन समाज पार्टी, एबीसीडीई प्रकाशन दिल्ली, 1996 पृ0 2–3
8. दूबे अभय कुमार – वही, पृ0 275